R.No. MAHENG/2004/14130
Regd. No. MH/MR/South-30/2012-14

खण्ड XIII ♦ अंक 11
मई 2017

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 मई 2017 को जारी एक प्रेस प्रकाशनी में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 की घोषणा के बाद से उठाए गए कदमों और चर्चित मुद्दों की रूपरेखा बनाई।

अध्यादेश और इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को चूक के मामले में शोध अक्षमता और दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निदेश जारी करने में सशक्त बनाते हैं। यह रिज़र्व बैंक को दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में निदेश जारी करने तथा ऐसे सदस्यों वाले एक या दो प्राधिकरणों या समितियों को विनिर्दिष्ट करने में समर्थ भी बनाता है जिन्हें बैंक दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर बैंकिंग कंपनियों को परामर्श देने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त करे या नियुक्ति का अनुमोदन दे।

अध्यादेश की घोषणा के तुरंत बाद, रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के निपटान पर मौजूदा विनियमों में निम्नलिखित बदलाव करने के लिए निदेश जारी किया था :

- यह स्पष्ट किया गया कि सुधारात्मक कार्ययोजना में लचीली पुनर्संरचना, एसडीआर और ए4ए शामिल हो सकता है।
- जेएलएफ में निर्णय निर्माण की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से किसी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु सहमति को पूर्ववर्ती 75 प्रतिशत मूल्य से बदलकर 60 प्रतिशत कर दिया जाए जबकि संख्या 50 प्रतिशत रखी जाए।
- जेएलएफ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर जो बैंक अल्पमत में थे, उनसे अपेक्षित है कि वे निर्धारित समय के अंदर एवजी नियमों का अनुपालन करने बाहर निकलें या जेएलएफ के निर्णय का पालन करें।
- सहभागिता करने वाले बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे बिना किसी अतिरिक्त शर्त के जेएलएफ के निर्णय को कार्यान्वित करें।
- बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया कि वे बिना किसी आगामी संदर्भ के जेएलएफ निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अपने कार्यपालकों को सशक्त बनाएं।

बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि इनका पालन नहीं करने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

कार्ययोजना के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वाधान में निगरानी समिति को पुनर्गठित किया जाए तथा इसमें और सदस्यों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार भी किया जाए ताकि निगरानी समिति इसको भेजे जाने वाले मामलों के निपटान हेतु अपेक्षित बेंच गठित कर सके। वर्तमान में निगरानी समिति (ओसी) में दो सदस्य हैं। पुनर्गठित निगरानी समिति में वर्तमान सदस्य बने रहेंगे, कुछ और सदस्यों के नामों की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। रिज़र्व बैंक वर्तमान समय में यथाअपेक्षित एस4ए के अंतर्गत आने वाले मामलों से अधिक मामले निगरानी समिति को भेजने के लिए इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने की योजना बना रहा है।

रिज़र्व बैंक एक ढांचे पर कार्य कर रहा है जो उन मामलों के संबंध में वस्तुनिष्ठ और अनुरूप निर्णय निर्माण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा जिन मामलों का आईबीसी के अंतर्गत समाधान करने के संदर्भ के लिए निर्धारण किया जा सके। रिज़र्व बैंक पहले से ही बैंकों की बड़ी दबावग्रस्त आस्तियों की वर्तमान स्थिति पर सूचना प्राप्त कर चुका है। भारतीय रिज़र्व बैंक एक समिति का गठन करेगा जिसमें मुख्य रूप से इसके स्वतंत्र बोर्ड सदस्य होंगे जो इस संबंध में इस सलाह देंगे।

बैंकिंग प्रणाली में बड़ी दबावग्रस्त आस्तियों का मूल्य अनुकूलन तरीके में समाधान करने के लिए जरूरी समझे जाने वाले संशोधनों के लिए पुनर्संरचना संबंधी वर्तमान दिशानिर्देश समीक्षाधीन हैं। रिज़र्व बैंक इस मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना कर रहा है, रेटिंग शॉपिंग और किसी प्रकार के हित-टकराव से बचने के लिए रिज़र्व बैंक रेटिंग कार्यों (असाइनमेंट) की व्यवहार्यता की खोजबीन कर रहा है जिसका निर्धारण रिज़र्व बैंक स्वयं करेगा और उसका भुगतान बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के अंशदान से सृजित निधि से किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक नोट करता है कि संवृद्धित सशक्तिकरण की उचित कार्रवाई में अनेक स्टेकधारकों से समन्वय और सहयोग की जरूरत होगी जिनमें बैंक, एआरसी, रेटिंग एजेंसियां, आईबीबीआई और पीई फर्में शामिल हैं जिसके लिए रिज़र्व बैंक इन स्टेकधारकों के साथ निकट भविष्य में बैठकें आयोजित करेगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40518)

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए समय-सीमा

समय पर निर्णय लेना सुविधाजनक बनाने के लिए और अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के ढांचे के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को सूचित किया कि आगे से, जेएलएफ में कम-से-कम 60 प्रतिशत लेनदारों द्वारा मूल्य के आधार पर और 50 प्रतिशत लेनदारों द्वारा संख्या के आधार पर लिए गए निर्णय को सीएपी को निर्धारित करने का आधार माना जाएगा, और यह ढांचे में उपलब्ध निकासी (स्थानापन्न द्वारा) विकल्प के अधीन सभी उधारदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। उधारदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि जेएलएफ में उनके प्रतिनिधियों को उपयुक्त अधिदेश प्राप्त हैं, और ऋणदाताओं द्वारा जेएलएफ में लिए गए निर्णयों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू किया जाता है।

रिज़र्व बैंक ने निम्न पर जोर दिया कि

- जेएलएफ के समक्ष अंतिम प्रस्ताव पर मतदान के समय भाग लेने वाले बैंकों का रूख स्पष्ट और बिना शर्त होगा;
- कोई ऐसा बैंक जो सीएपी पर बहुमत निर्णय का समर्थन नहीं करता है, निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानापन्नता के अधीन बाहर निकल सकता है, ऐसा न करने पर वह जेएलएफ के निर्णय का पालन करेगा;

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग विनियमन	
• बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए कार्ययोजना	1
• दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए समय-सीमा	1
• बैंकिंग आउटलेट्स पर दिशानिर्देश	2
• कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन	3
गैर-बैंकिंग विनियमन	
• आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता	3
सहकारी बैंक विनियमन	
• सहकारी बैंकों द्वारा पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) का निर्गम	3
• कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी अधिग्रहण	4
भुगतान और निपटान प्रणाली	
• आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी निपटान	4
• भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) समयसीमा में विस्तार	4

- बैंक किसी भी अतिरिक्त शर्त के बिना जेएलएफ के निर्णय को कार्यान्वित करेगा; और
- बोर्ड अपने कार्यकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे कि वे बोर्ड से और आगे अनुमोदन मांगे बिना जेएलएफ के निर्णय को कार्यान्वित कर सकें।

पृष्ठभूमि

अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संबंध में दिशानिर्देशों का उद्देश्य दबावग्रस्त आस्तियों की आरंभिक स्तर पर पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) को समय पर लागू करना है, ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के आर्थिक मूल्य को सुरक्षित रखा जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीएपी को शीघ्रता से अंतिम रूप देकर तैयार किया गया है, ढांचे में ऐसी विभिन्न समय-सीमाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके भीतर उधारदाता को सीएपी तय करना है और उसे लागू करना है। जहां उधारदाता ढांचे के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तो इसके लिए ढांचे में आस्ति वर्गीकरण और त्वरित प्रावधान के रूप में दंडात्मक प्रावधान भी है। उक्त के बावजूद, सीएपी को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने में विलम्ब देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में विलम्ब होता है। इस संदर्भ में, यह दोहराया जाता है कि उधारदाता सीएपी को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए ढांचे में निर्धारित समय-सीमाओं का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10957Mode=0)

बैंकिंग आउटलेटस पर दिशानिर्देश

भारत सरकार और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझाव / प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 18 मई, 2017 को 'बैंकिंग आउटलेट' पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए,जो तत्काल प्रभाव से परिचालन में लाए जा रहे हैं। दिशानिर्देशों के विवरण निम्ननुसार हैं।

बैंकिंग आउटलेट/ अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट

किसी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (डीएससीबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) के लिए 'बैंकिंग आउटलेट' एक नियत स्थल पर सेवा सुपुर्दगी इकाई है, जिसे बैंक के स्टाफ अथवा उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है, जहां सप्ताह में कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए जमाराशियां स्वीकार करने, चेकों का नकदीकरण/ नकद आहरण अथवा पैसा उधार देने की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें बैंक के नाम और उससे प्राप्त प्राधिकार के साथ नियंत्रक प्राधिकारियों और शिकायत निवारण प्रणाली के संपर्क ब्योरे सहित एक समान पहचान-सूचक बोर्ड है। बैंकिंग आउटलेट का उचित पर्यवेक्षण, टेलेकॉम कनेक्टिविटी के कारण अस्थायी रुकावट को छोड़ कर निर्बाध सेवा आदि सुनिश्चित करने तथा ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण करने हेतु बैंक को बैंकिंग आउटलेट की नियमित आन-साइट तथा आफ साइट निगरानी करनी चाहिए। कारोबार समय/ दिवसों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

ऐसा बैंकिंग आउटलेट, जो सप्ताह में कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है, उसे अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट माना जाएगा।

बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र

बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र (यूआरसी) का आशय एक ग्रामीण (टियर 5 और 6) केंद्र से है, जहाँ ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कोई सीबीएस समर्थित बैंकिंग आउटलेट नहीं है अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र बैंक या लाइसेंस-प्राप्त सहकारी बैंक की कोई शाखा नहीं है।

बैंकिंग आउटलेट खोलना-सामान्य अनुमति

घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) अनुमति दी गई है कि वे टीयर 1 से टीयर 6 केंद्रों (जब तक अन्यथा रूप से विशेषकर प्रतिबंधित न किया जाए) में प्रत्येक के मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना ''बैंकिंग आउटलेट'' खोल सकते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान ''बैंकिंग आउटलेट'' खोलना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- एक वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले कुल बैंकिंग आउटलेट का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में खोले जाने चाहिए;
- किसी भी केंद्र में खोले गए अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट को गिना जाएगा और बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में 25 प्रतिशत बैंकिंग आउटलेट खोले जाने के मानदंड की अपेक्षा और अनुपालन की गणना हेतु आनुपातिक आधार पर हर और अंश दोनों में जोड़ा जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के किसी भी टीयर 3 से टीयर 6 केंद्र तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों के किसी भी टीयर 3 से टीयर 6 केंद्र में खोले गए 'बैंकिंग आउटलेट'/'अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट' को बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्र (यूआरसी) में 'बैंकिंग आउटलेट'/'अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट', जो भी हो, खोलने के समकक्ष माना जाएगा। चूंकि इन दिशानिर्देशों का समग्र उद्देश्य इन अल्पबैंक सुविधा/वंचित केंद्रों में बैंकिंग सुविधाएं का विस्तार करना है, केंद्र के बैंक सुविधा/बैंक सुविधा रहित दर्जे के भेदभाव बिना खोले गए प्रत्येक बैंकिंग आउटलेट को यूआरसी में खोला गया आउटलेट माना जाएगा।
- एक पूर्णतया ईमारती (ब्रिक और मोर्टर) शाखा पहले से ही किसी बैंक द्वारा बीसी आउटलेट के रूप में निश्चित किए गए एक ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केंद्र में खोली गई,तो उसे एक यूआरसी में 'बैंकिंग आउटलेट' खोलने के बराबर माना जाएगा दूसरे शब्दों में, यूआरसी में खोले गए किसी भी बैंक के पहले निश्चित किए गए बीसी आउटलेट और साथ ही बैंक की पहली ईमारती (ब्रिक और मोर्टर) शाखा 25 प्रतिशत मानकों के अनुरूप अनुपालन के लिए गिनी जाएंगी।
- ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केंद्र में खोले गए एक 'बैंकिंग आउटलेट' जो केवल भुगतान बैंक के एक बैंकिंग आउटलेट के रूप में कार्य कर रहा हो, उसे भी यूआरसी में एक 'बैंकिंग आउटलेट' खोलने के बराबर माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, एक भुगतान बैंक द्वारा पहले 'बैंकिंग आउटलेट' और साथ ही यूआरसी में खोले गए किसी अन्य बैंक के पहले 'बैंकिंग आउटलेट' को 25 प्रतिशत मानकों के अनुरूप अनुपालन के लिए गिना जाएगा।
- यूआरसी में एक आउटलेट खोलने के लिए बैंक को दिया गया समय एक वर्ष है। अगर कोई बैंक एक वर्ष में 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता का पालन नहीं करता है, तो टीयर 1 की शाखाएं खोलने पर प्रतिबंध सहित उचित दंड उपाय भी लगाए जा सकते हैं।
- बैंकों को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अधिक बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सामने आने में प्रोत्साहित करने के लिए, यदि कोई आवश्यकता से अधिक बैंकिंग आउटलेट खोला गया है, तो अगली 2 साल की अवधि के लिए उन्हें बैंकिंग आउटलेटस के लाभ को आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी। लाभ लेने के लिए समयावधि में विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
- बैंकों के पास यूआरसी की पहचान संबंधी जानकारी हों इसके लिए, राज्य स्तर की बैंकर समितियां (एसएलबीसी) एक रचनात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएंगी। एसएलबीसी राज्य में सभी बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों की एक अद्यतन सूची संकलित करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। यह सूची बैंकों को उन जगहों को चुनने / निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करेगी जहां वे एक 'बैंकिंग आउटलेट' खोलना चाहते हैं। बैंक एसएलबीसी संयोजक बैंक के साथ समन्वय के साथ सूचित करेगा कि उनके द्वारा कौनसा केंद्र निर्धारित किया गया है।यदि कोई बैंक 1 वर्ष की निर्धारित अवधि में बैंकिंग आउटलेट खोलने में विफल रहता है, तो एसएलबीसी संयोजक बैंक संकेत कर सकता है कि बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए केंद्र अन्य बैंकों के लिए उपलब्ध है। एसएलबीसी के गैर-सदस्य बैंक भी वेबसाइट का उल्लेख कर सकते हैं और एसएलबीसी संयोजक बैंकों को उनके द्वारा पहचाने गए केंद्रों के बारे में सूचित कर सकते हैं।
- यदि किसी बैंक ने बैंकिंग आउटलेटस / पार्ट-टाइम बैंकिंग आउटलेटस में सरकारी व्यवसाय करने का प्रस्ताव रखा है, तो उसे सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय के साथ ही संबंधित सरकारी प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

'बैंकिंग आउटलेट' का विलयन / समापन / स्थानांतरण / रूपांतरण

- सामान्य अनुमति वाले बैंक अपने विवेक पर सभी बैंकिंग आउटलेट (ग्रामीण आउटलेट और एकमात्र अर्ध-शहरी आउटलेट को छोड़कर) का स्थानांतरण, विलयन या समापन कर सकते हैं।
- किसी भी ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ एक पूर्ण अर्ध शहरी 'बैंकिंग आउटलेट' के विलयन, समापन और स्थानांतरण में जिला परामर्शदात्री समिति / जिला स्तर की समीक्षा समिति (डीसीसी / डीएलआरसी) की मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि, किसी भी ग्रामीण या एकमात्र अर्ध-शहरी बैंकिंग आउटलेट को पूर्णतः ईमारती (ब्रिक और मोर्टर) शाखा में बदलने और इसके विपरीत अंतरण के लिए इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। बैंकों और डीसीसी / डीएलआरसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ग्रामीण या एकमात्र अर्ध शहरी 'बैंकिंग आउटलेट' के विलयन / समापन / स्थानांतरण / रूपांतरण होने पर केंद्र की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
- बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकिंग आउटलेट जिसका विलयन / समापन / स्थानांतरण किया जा रहा है, के ग्राहकों को समय पर अच्छी तरह से सूचित किया जाए ताकि उन्हें असुविधा न हो। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सरकारी प्रायोजित कार्यक्रमों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं के तहत इन 'बैंकिंग आउटलेटस' को सौंपी गई भूमिका को पूरा करते रहें।
- आगे यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 'बैंकिंग आउटलेटस' को उसी या एक कम जनसंख्या वर्ग में अर्थात अर्ध शहरी बैंकिंग आउटलेट को अर्ध शहरी या ग्रामीण केंद्रों और ग्रामीण' बैंकिंग आउटलेट को अन्य ग्रामीण केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए।

लघु वित्त बैंकों के एमएफआई ढांचे को पुराने नियमों के अनुसार चलने की अनुमति देना

- लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के एमएफआई / एनबीएफसी ढांचे के फायदों को संरक्षित रखने के लिए एक सक्षम माहौल प्रदान करने हेतु तथा आगे वित्तीय समावेशन की दृष्टि से, एसएफबी को अपने बैंकिंग नेटवर्क को मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ संरेखन करने के लिए कारोबार शुरू करने की तारीख से 3 साल का समय दिया जा रहा है। तब तक मौजूदा संरचना बनी रह सकती हैं और उन्हें 'बैंकिंग आउटलेट' माना जाएगा, हालांकि 25 प्रतिशत के मानदंड के लिए तुरंत गणना नहीं की जाएगी।

- फिर भी, 3 वर्षों की इस अवधि के दौरान, एक वर्ष में खोले गए अथवा मौजूदा एमएफआई शाखाओं से परिवर्तित किए गए सभी बैंकिंग आउटलेटों के लिए, उन्हें उसी वर्ष में बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने होंगे। इस प्रयोजन के लिए, मौजूदा एमएफआई शाखाओं से परिवर्तित किए गए सभी बैंकिंग आउटलेट से आशय है, ऐसी मौजूदा एनबीएफसी / एमएफआई शाखाएं जो मौजूदा ऋण देने की गतिविधियों के अलावा जमाएं स्वीकार करने, चेक की निकासी/ आहरण की अनुमति देने जैसे कार्य करने का इरादा रखते हैं।
- उनके द्वारा कारोबार शुरू करने की तारीख से तीन साल की समाप्ति पर, सभी एसएफबी द्वारा अपने कुल बैंकिंग आउटलेट में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जानी चाहिए अन्यथा ऐसे बैंकों द्वारा और विस्तार करने पर प्रतिबंध सहित दंडनीय उपायों पर विचार किया जाएगा और यथोचित दंड लगाया जाएगा। सभी संस्थाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था उन सभी मौजूदा बैंकों पर लागू होंगी जो पहले एनबीएफसी / एमएफआई थे और ऐसी एनबीएफसी / एमएफआई संस्थाएं भी, जो भविष्यि में लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं।

एटीएम / ई-कियोस्क / सीडीएम / बीएनएएम में कर्मचारी लगाना

बैंकों को विशेषीकृत आर्थिक क्षेत्र सहित पहचाने गए केंद्रों / स्थानों पर ऑनसाइट / ऑफसाइट ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) स्थापित करने की अनुमति है। बैंकों को इन आउटलेटों की सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उचित स्टाफ सदस्य (सदस्यों) नियुक्त करने की अनुमति है। ऐसे एटीएम को 'बैंकिंग आउटलेटस' नहीं माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

इस संबंध में, यह स्मरण दिलाया जाता है कि 5 अप्रैल 2016 को पहले द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2016-17 में की गई घोषणा के अनुसार, यह अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और उनके द्वारा अपेक्षित सेवा के प्रकारों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शाखाओं और आउटरीच के अनुमेय तरीकों को फिर से परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस उद्देश्य के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट आरबीआई वेब-साइट पर प्रकाशित की गई थी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10972Mode=0)

कारपोरेट बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण संवर्धन

आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) के लिए पूंजी अपेक्षा की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 मई 2017 को यह निर्णय लिया कि:

- बैंकों से पीसीई के लिए पात्र होने के लिए, कारपोरेट बॉण्डों की हर समय कम-से-कम दो बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा रेटिंग की जाएगी;
- आरंभिक और बाद की, दोनों रेटिंग रिपोर्टें एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग (अर्थात् पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना रेटिंग) और संवर्धित क्रेडिट रेटिंग (पीसीई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए) दोनों का प्रकटन करेंगी।
- पीसीई प्रदाता की बहियों में पूंजी गणना के प्रयोजन से, दोनों एकल (स्टैंड-अलोन) में से कम वाली क्रेडिट रेटिंग और उसी रेटिंग एजेन्सी की समरूप संवर्धित क्रेडिट रेटिंग मान्य होगी।
- जहां बॉण्ड के जीवनकाल के दौरान किसी भी समय पुनर्मूल्यांकित एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग बॉण्ड इश्यू के समय की समरूप रेटिंग पर सुधार दर्शाती है, तो पूंजी की आधार-सीमा की बाधाओं और स्तरों (नॉचेज़) में अंतर के संदर्भ के बिना पुनर्मूल्यांकित एकल (स्टैंड-अलोन) क्रेडिट रेटिंग और पुनर्मूल्यांकित संवर्धित क्रेडिट रेटिंग के आधार पर पूंजी अपेक्षा की फिर से गणना की जाएगी।

पृष्ठभूमि

फिडबैक को ध्यान में रखते हुएऔर बांड वित्तपोषण का लाभ लेने के लिए निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को सभी प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कॉरपोरेट्स / विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) द्वारा जारी किए गए बॉन्डों को पीसीई प्रदान करने की अनुमति दी।

जबकि ड्राफ्ट दिशानिर्देश में पीसीई को वित्त पोषित ऋण सुविधा के रूप में अनुमति देने के प्रावधान भी शामिल थे, यह तय किया गया था कि शुरू में बैंकों को केवल गैर-वित्त पोषित अप्रतिसंहरणीय आकस्मिक ऋण के रूप में पीसीई देने की अनुमति दी जाएगी। पीसीए को वित्त पोषित ऋण सुविधा के रूप में अनुमति देने पर बैंकों द्वारा प्रस्तावित आकस्मिक पीसीई के कार्यनिष्पादन और कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद विचार किया जाएगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10971Mode=0)

गैर-बैंकिंग विनियमन

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता

दवाबग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में एआरसी के लिए परिकलित बड़ी भूमिका तथा बैंकों द्वारा एआरसी को दवाबग्रस्त आस्तियों की बिक्री को शासित करने के संबंध में हाल ही के विनियामकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को एआरसी के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि निरंतर आधार पर ₹ 100 करोड़ निर्धारित करने का निर्णय लिया।निवल स्वाधिकृत निधि की गणना स्वाधिकृत निधि (ओएफ) में निम्नलिखित राशि को घटाकर की जाएगी-

एआरसी द्वारा निम्न शेयरों में निवेश

- जो उसकी सहायक संस्था हो;
- उसी समूह की अन्य कंपनियों में;
- अन्य सभी एआरसी; तथा

ऐसे डिबेंचर, बंध पत्रों, बकाया उधारों और अग्रिमों के उसी मूल्य के समान, जो -

- ऐसी कंपनियों के सहायक संस्थाओं में; और
- उसी समूह की कंपनियों में, उस सीमा तक जिस तक ऐसा बही मूल्य स्वाधिकृत निधि के दस प्रतिशत से अधिक हो।

ऐसे सभी एआरसी जो 28 अप्रैल 2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पहले से पंजीकृत हैं और जिनके पास इस तारीख को संशोधित न्यूनतम एनओएफ नहीं है, उन्हें ₹ 100 करोड़ का न्यूनतम एनओएफ 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करना होगा। इसके अनुपालन के साक्ष्य के रूप में एआरसी अपने सांविधिक लेखा-परीक्षकों से आवधिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10949Mode=0)

सहकारी बैंक विनियमन

सहकारी बैंकों द्वारा पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) का निर्गम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 मई 2017 को अपने एटीएम नेटवर्क रखने वाले सभी लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंकों को अर्ध -सीमित (सेमि-क्लोस्ड) पीपीआई जारी करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि जमा लेने की स्वीकृति या पुनर्भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। यह भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानदंड तथा अन्य दिशानिदेशों के अनुपालन के अधीन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले सहकारी बैंकों को ओपन सिस्टम पीपीआई जारी करने की अनुमति दी है। बैंकों को इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

ए) बैंक सीबीएस के अनुरूप होना चाहिए;

बी) वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सीआरएआर 10% से कम नहीं होना चाहिए;

सी) वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल एनपीए 7% से कम तथा निवल एनपीए 3% से अधिक नहीं होना चाहिए;

डी) भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले निरीक्षण के अनुसार निर्धारित निवल मालियत रू 25 करोड से अधिक होनी चाहिए।

ई) वर्तमान और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए;

एफ) बैंक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल लाभ होना चाहिए;

जी) बैंक के बोर्ड में दो वृत्तिक निदेशक होने चाहिए तथा प्रणाली और नियंत्रण का प्रसार निम्नानुसार होना चाहिए :

i. सभी शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय में आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा प्रणाली
ii. सभी प्रमुख शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली

एच) केवाईसी/एएमएल/ आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेश का संतोषजनक अनुपालन;

आई) पिछले दो वित्तीय वर्षों में तथा आवेदन जमा करने के वर्ष के दौरान बैंक पर कोई मौद्रिक दंड नहीं लगा हो;

जे) बैंकों को ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली पर बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक नीति का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप से होना चाहिए जिसमें ग्राहकों की शिकायतों का समाधान जल्द किया जाता हो।

प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को जारी करना तथा उसका परिचालन इस संबंध में डीपीएसएस, आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों द्वारा भी निर्देशित होंगे। पीपीआई जारी करने के इच्छुक पात्र सहकारी बैंकों को इस हेतु डीपीएसएस, केंद्रीय कार्यालय मुंबई में अनुमोदन हेतु आवेदन करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10981Mode=0

कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी अधिग्रहण

सहकारी बैंकों में वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल चैनलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2017 को निर्णय लिया कि बिक्री केंद्र (पीओएस) अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने की इच्छा नहीं रखने वाले सभी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व अनुमति के बिना तीसरे पार्टी के पीओएस टर्मिनलों को लगाने की अनुमति दी जाए :

- सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त हो और सीबीएस समर्थित हों;
- बैंक का सीआरएआर पिछले वित्तीय वर्ष में 9% से कम नहीं होना चाहिए;
- बैंक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ होना चाहिए;
- बैंक के निदेशक मण्डल में कम से कम दो वृत्तिक निदेशक होने चाहिए;
- बैंक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए;
- कार्ड लेनदेन के लिए व्यापार अधिग्रहण पर बैंक की नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए;
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जमाराशि स्वीकार करने/ आहरण के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो।
- बैंक को पीओएस टर्मिनलों की प्रस्ताव देने से पहले अपने व्यापारी ग्राहकों की सहमति लेनी चाहिए तथा तीसरे पक्ष के निपटान की प्रक्रिया का खुलासा करना चाहिए।
- बैंक को तीसरे पक्ष के पीओएस टर्मिनलों के संचालन के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट करना चाहिए।

बिक्री केंद्र (पीओएस) अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाले सभी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमति के साथ तीसरे पार्टी के पीओएस टर्मिनलों को लगाने की अनुमति है:

- सहकारी बैंकों को उपर्युक्त पैरा 1 के 1(ए) से (जी) तक उल्लिखित मापदंडों का अनुपालन करना होगा। बैंकों की आईटी प्रणालियां और सीबीएस की आईएस लेखापरीक्षा हुई हों, जिनकी अवधि आवेदन तारीख से छ: माह से पहले की न हो ताकि यह पुष्टि की जा सके कि सिस्टम पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले निरीक्षण के अनुसार आकलित निवल मालियत रू 25 करोड से अधिक होनी चाहिए;
- पिछले वर्ष का सकल एनपीए 7% से कम होनी चाहिए तथा निवल एनपीए 3% से कम होनी चाहिए;
- पिछले दो वित्तीय वर्षों तथा जिस वर्ष के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, बैंक पर कोई मौद्रिक दंड नहीं लगाया गया हो;
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए;
- बैंक प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क जैसे रूपे, वीसा, मास्टर कार्ड आदि का सदस्य होना चाहिए।

बैंक को कार्ड लेनदेन के लिए व्यापारी अधिग्रहण तथा पीओएस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा समय समय पर जारी निदेशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

सहकारी बैंक जो अपने स्वयं के पीओएस टर्मिनल खोलने के इच्छुक हैं तथा पीओएस अधिग्रहणकर्ता बैंक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, वे इस संबंध में आवश्यक अनुमति के लिए आवश्यक सूचना/ दस्तावेज़ों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करें।

पृष्ठभूमि

सहकारी बैंकों को ऑन साइट/ऑफ साइट दोनों एटीएम लगाने की अनुमति दी गई है तथा कुछ पात्रता शर्तों के आधार पर वे स्वयं अथवा प्रायोजक बैंक के माध्यम से डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं । सभी सहकारी बैंकों को स्वयं अथवा अन्य बैंकों के साथ को-ब्रांडींग व्यवस्था द्वारा क्रेडिट कार्ड कारोबार में प्रवेश करने की भी अनुमति दी गई है बशर्ते कि इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों को वे पूरा करते हों ।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10950Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी निपटान

रिज़र्व बैंक ने 8 मई 2017 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालीमें आधे घंटे के अंतराल पर एनईएफटी प्रणाली में अतिरिक्त निपटान लागू किए हैं ताकि प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके और ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जा सके। आधे घंटे में किए जाने वाले निपटान धन अंतरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे और गंतव्य खातों में तेजी से क्रेडिट प्रदान करेंगे। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिन (8.30 बजे, सुबह 9.30 बजे, 10.30 बजे, 5.30 बजे और 6.30 बजे) में 11 अतिरिक्त निपटान बैचों को लागू किया जाए जिसके चलते दिन में आधे घंटे के निपटान बैचों की कुल संख्या 23 हो जाएगी।

शुरूआती बैच 8:00 बजे और बंद होने वाला बैच 7:00 बजे उसी तरह रहेगा जैसा कि अब तक था। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार रिटर्नअनुशासन अर्थात् बी + 2 घंटे (निपटान बैच का समय और साथ में दो घंटे) भी पहले के समान ही रहेगा।

इसलिए, भाग लेने वाले बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आधे घंटे में होने वाले निपटान के लिए एनईएफटी लेनदेन आरंभ करने के लिए और आधे आधे घंटे में आवक एनईएफ़टी लेनदेनों को स्वीकार और क्रेडिट करने के लिए भी उपर्युक्त अनुसार अपनी सीबीएस प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करें। आईडीआरबीटी / आईएफटीएएस, सहभागी बैंकों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित तकनीकी परिवर्तनों को सूचित करेंगे और उनके कार्यान्वयन में आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे।

10 जुलाई, 2017 (सोमवार) से अतिरिक्त बैचों को लागू किया जाएगा। तदनुसार बैंक तकनीकी और परिचालन संबंधी पहलुओं के मामले में अपनी तैयारी सुनिश्चित करें।

कुशल ग्राहक सेवा के लिए एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाले बैंकों सूचित किया गया था कि वे धन प्रेषण प्रवर्तक (ग्राहक) को एक सकारात्मक पुष्टि भेजें जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि लाभग्राही के खाते में धन को सफलतापूर्वक क्रेडिट कर दिया गया है। तदनुसार, लाभार्थी / गंतव्य बैंक, प्रवर्तक बैंकों को एन 10 संदेशों को भेजने के संबंध में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जो बदले में धन प्रेषण करने वाले ग्राहक को लाभग्राही के खाते में क्रेडिट की स्थिति के बारे में सूचित करने के संबंध में सकारात्मक पुष्टि भेजना सुनिश्चित करेंगे।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली वर्तमान में सभी कार्य दिवसों में 8:00 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक प्रति घंटे के अंतराल पर निवल आधार पर प्रतिभागी बैंकों के निधि अंतरण संबंधी अनुरोधों का निपटान करती है। सभी प्रतिभागी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे लाभग्राही बैंक को क्रेडिट तभी प्रदान करें जब अंतर बैंक लेनदेन का निपटान पूरा कर लिया गया हो और उनके द्वारा एंड - ऑफ -बैच (ईओबी) संदेश प्राप्त कर लिया गया हो।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10958Mode=0)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) समयसीमा में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 मई 2017 को बीबीपीएस के वर्तमानदायरें के अंतर्गत बिलिंग कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए प्राधिकृत बीबीपीओयूका एजेंट बनने या बिल भुगतान कारोबार से बाहर निकलने के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2017 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया है। यह समयसीमा निम्नलिखित संस्थाओं पर लागू है,

- जिन्होंने बीबीपीओयू के रूप में प्राधिकार हेतु आवेदन नहीं कियाया
- बीबीपीओयू के लिए जिनका आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वापस लौटा दिया गया या
- जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समयावधि बढ़ाई गई किंतु जो 31 दिसंबर 2016 तक अपेक्षित मालियत हासिल कर रिपोर्ट नहीं कर सकी।

समयावधि में यह विस्तार विभिन्न संस्थाओं द्वारा अंतिम तारीख तक कार्य पूरा करने में व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है।

बीबीपीएस के क्षेत्र में विकास, वृद्धि और विस्तार के आधार पर रिज़र्व बैंक भविष्य की किसी तारीख पर नए आवेदन आमंत्रित करके बीबीपीओयू के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन/प्राधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को पुनः चालू करने पर विचार कर सकता है।

पृष्ठभूमि

यह स्मरण होगा कि 28 नवंबर 2014 के बीबीपीएस के कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीबीपीएस के वर्तमान दायरे में कवर किए गए बिल भुगतान कार्यकलापों में लगे बैंक और गैर-बैंक संस्थाएं भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू) या प्राधिकृत बीबीपीओयू के एजेंट के रूप में बीबीपीएस में भागीदारी कर सकती हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=40413)

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।